न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–2025/22 UCMS-2025/94

सरकार जरिये रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, तत्कालिन जिला अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री भागीरथ निवासी चक 87 जीबी तहसील अनूपगढ़(अनु किराणा स्टोर)

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

–:निर्णयः– दिनांकः–17.06.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़** द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः–

यह है कि दिनांक–20.09.2024 को जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ स्थित फर्म/होटल अनु किरयाना स्टोर 87 जीबी पर पहुॅचें। जांच के दौरान अनु किरयाना स्टोर पर **श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री भागीरथ निवासी चक 87 जीबी तहसील अनूपगढ़** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। श्री पृथ्वीराज की उपस्थिति में अनु किरयाना स्टोर, 87 जीबी अनूपगढ़ की जांच में पाया कि कुल सात घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जिनमें से 05 सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. कम्पनी के,01 सिलेण्डर रिलायन्स कम्पनी का व 01 सिलेण्डर एच.पी.सी.एल कम्पनी का पाया गया। उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछने पर बताया कि वह किसी भी गैस एजेन्सी से खाली गैस सिलेण्डर देकर भरा हुआ लेता है फिर प्रत्येक सिलेण्डर पर 20 रूपये अधिक लेकर उपभोक्ताओं को बेचने का कार्य करता है। श्री पृथ्वीराज द्वारा उक्त सातों घरेलू गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नही दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री पृथ्वीराज के पास नही मिला।

फर्म अनु किरयाना स्टोर 87 जीबी पर पाये गये 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी अनूपगढ़ के कार्मिक बिल्लू गिल्होत्रा पुत्र श्री मुश्ताक राय उम्र 55 वर्ष जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.–01 सूरतगढ़ आधार नं.–958926289530 मोबाईल नं. –9610887491 को सुपुर्द किया गया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती एवं सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया।

उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि **श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री भागीरथ निवासी चक 87 जीबी तहसील अनूपगढ़ फर्म अनु किरयाना स्टोर, 87 जीबी अनूपगढ़** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है क मौके से 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण आपके न्यायालय में जैरकार है जो 07 सिलेण्डर मेरी दुकान से प्राप्त किये गये है वो पास–पडौस की ढाणियों मे निवासरत लोगो के थे जो कि मेरी दुकान पर रखे हुये थे, उक्त समस्त सिलेण्डर मेरे नही थे। मेरे द्वारा किसी प्रकार का अवैध धंधा नही किया जाता है मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ। अतः उक्त जब्त गैस सिलेण्डरों को मुझ प्रार्थी को

पिस सौंपे जावे ताकि प्रार्थी उक्त समस्त घरेलू सिलेण्डर मालिकों को वापिस दे सकूँ तथा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी पृथ्वीराज द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्सावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री भागीरथ निवासी चक 87 जीबी तहसील अनूपगढ़**. का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3(1)(ख)(ग),4(1) (क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जब्तशुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री भागीरथ निवासी चक 87 जीबी तहसील अनूपगढ़ (अनु किरयाना स्टोर, 87 जीबी)**की दुकान से जब्तशुदा(फर्द मौका जब्तीनुसार) 07 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ